प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री रतनलाल भादू निवासी भादू गोयतो की ढाणी पोस्ट गुडाहेमा तहसील चितलवाना जिला जालोर		लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर
प्रकरण अपील		05/2018
कम्प्यूटर आई.डी		2018/00031

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

02.04.2018	अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से उपस्थित होने हेतु लिखा गया परंतु अपीलांट अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब डाक से प्राप्त हुआ। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) जालोर ने कथन किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे। हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी कथन पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट को उपस्थित होने हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया था परंतु अपीलांट अनुपस्थित रहा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का अपना आवदेन पत्र डाक से भिजवाया जाना बताया है। परंतु अपील के संलग्न ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि अपना उक्त आवेदन पत्र डाक से राज्य लोक सूचना अधिकारी को भिजवाया गया है।जिसकी पुष्ठी राज्य लोक सूचना अधिकारी के कथन व जवाब से होती है।जिसमें राज्य लोक सूचना अधिकारी ने सूचित किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है। सही- (बी.एल.कोठारी) प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर